प्ररूप—ग

(नियम 3(2) देखिये)

अनुज्ञा

क्र० 2024

प्रति,

लक्ष्मण पिता बिजेसिंग जाति कमार एवं अन्य 05
निवासी ग्राम चिखली
तहसील—गरियाबंद, जिला—गरियाबंद(छ0ग0)

विषय :— प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

----000----

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 23.08.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण ज्ञापन (दिनांक) 23.08.2024 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:— **संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर खसरा नम्बर 44/1 रकबा 0.25हे0 भूमि पर साजा 01, साल 01 तथा खसरा नम्बर 44/6 रकबा 0.70हे0 में साल 07, कुल 09 वृक्ष स्थित है, जिसमें 05 सूखा एवं 04 वृक्ष गीला अवस्था में खडे है, परन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला में खसरा नम्बर 44/6 रकबा 0.70हे0 के कैफियत कॉलम में वृक्ष की संख्या और न ही प्रजाति अंकित नही है।**

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हॅू कि खसरा नम्बर **44/1** ग्राम—**चिखली**, प.ह.नं. **22**, तहसील—**गरियाबंद** स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति **साजा, साल, वृक्ष कमांक 01, 02** एवं संख्या (कमशः) **02** है, को काटे जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नही हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

संलग्नः— प्रपत्र 'ब' की प्रतिलिपि।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
गरियाबंद

पृ.क्रमांक/2024A/अ.अ./वा—1/2025 गरियाबंद दिनांक 18/7/25

प्रतिलिपि :—

1. कलेक्टर महोदय गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार गरियाबंद को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
गरियाबंद

Scanned with CamScanner